न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 310/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/503

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
देमाराम पुत्र मौकाराम जाति भील निवासी कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.मोड़ाराम पुत्र मौकाराम 2.बंशीराम पुत्र मौकाराम जाति भील निवासी भीलो का वास,रावला के पीछे ,कल्याणपुर 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 20/06/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1240/310 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 व 2 की सहखातेदारी मे अवस्थित थी। तीनो खातेदारान ने आपसी सहमति के आधार पर तहसील कार्यालय कल्याणपुर मे वर्ष 2021 मे बंटवाड़ा करवाया था तथा बंटवाड़ा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत तरमीम की गई। अशुद्व तरमीम के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 2112/310 व 2108/310 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर आपसी सहमति से हुए बंटवाड़ा माफिक परिशिष्ट अ मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया गया तथा वक्त बहस उपस्थित नही हुए।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1240/310 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 व 2 की सहखातेदारी मे अवस्थित थी। तीनो खातेदारान ने आपसी सहमति के आधार पर तहसील कार्यालय कल्याणपुर मे वर्ष 2021 मे बंटवाड़ा करवाया था तथा बंटवाड़ा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत तरमीम की गई। जिसके कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर ने भी अपनी रिपोर्ट मे स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की माफिक बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम नही की जाकर मौका स्थिति के विपरीत तरमीम की गई है। अंत विवादित आराजी के खसरा संख्या 2108/310 व 2112/310 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर तहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि पक्षकारान की ओर से आपसी सहमति के आधार पर ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1233/310, 1240/310, 1245/359 व 1249/393 कुल रकबा 67.04 बीघा भूमि का बंटवाड़ा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में पेश किया गया,जो दिनांक 08.11.2021 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2647/08.11.2021 को पारित हुआ,जो कि पत्रावली के संलग्न बंटवाड़ा व नामान्तकरण प्रतिया अवलोकन से साबित होता है। प्रार्थी का बहस में मुख्य कथन था कि खसरा संख्या 1240/310 का माफिक बंटवाड़ा मय नक्शा अनुरूप तरमीम नही की गई। उक्त तर्क के संबध मे पत्रावली के संलग्न बंटवाड़ा मय नक्शा प्रति अवलोकन करने पर पाया कि खसरा संख्या 1240/310 मे प्रार्थी देमाराम को मध्य मे भूमि दी गई है,जबकि वर्तमान नक्शा मे इसके विपरीत तरमीम हो रखी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम बंटवाड़ा नक्शा से विपरीत की गई है,जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। तहसीलदार कल्याणपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन किया है कि विवादित आराजी का सहमति बंटवाड़ा किए जाने पर मूल खसरा संख्या 1240/310 के विभाजित खसरा संख्या 2112/310,2108/310 व 1240/310 अंकित किए गए। जिसमे खसरा संख्या 2112/310 देमाराम पुत्र मौकाराम के नाम,खसरा संख्या 2108/310 बंशीलाल पुत्र मौकाराम के नाम दर्ज किए गए। परन्तु तरमीम नक्शे मे माफिक विभाजन अनुसार खसरो का अंकन नही किया गया। जिससे उक्त त्रुटि राजस्व रेकर्ड मे हुए। माफिक सहमति विभाजन के स्वीकृति आदेश अनुसार राजस्व नक्शे मे खसरा संख्या 2112/310 के स्थान पर 2108/310 व खसरा संख्या 2108/310 के स्थान पर 2112/310 दर्ज होना चाहिए था,जो अशुद्व अंकन किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुए है। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा रिपोर्ट मुताबिक दुरूस्ती किए जाने की अनुशंषा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है तथा प्रकरण तहसीलदार कल्याणपुर को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कल्याणपुर तहसील कल्याणुर की खसरा संख्या 2112/310 व 2108/310 की विदयमान खसरान प्रविष्टि निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का पूर्व मे बंटवाड़ा आदेश दिनांक 08.11.2021 के संलग्न नक्शा मुताबिक नये सिरे से खसरान शुद्वि किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/06/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

20/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा